



प्रेस विज्ञप्ति

13.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने नेक्सा एवरग्रीन निवेश धोखाधड़ी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया तथा अन्य आरोपी व्यक्तियों शोधन धन विरुद्ध के संस्थाओं/) अधिनियम निवारणपीएमएलए), 2002 की धारा 44 एवं 45 के तहत दिनांक 07.10.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। जांच में पता चला है कि वर्ष 2019 से 2023 के दौरान नेक्सा एवरग्रीन समूह के माध्यम से निवेशकों से लगभग ₹2,676 करोड़ एकत्र किए गए।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजस्थान पुलिस की ओर से नेक्सा एवरग्रीन समूह के विरुद्ध दर्ज की गई अनेक प्राथमिकी तथा दाखिल आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि आरोपियों ने निवेशकों को यह झूठा आश्वासन देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया कि उनकी धनराशि गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में भूमि विकास एवं प्लॉटिंग परियोजनाओं में निवेश की जाएगी। निवेशकों को 60 सप्ताह तक 3% साप्ताहिक प्रतिफल की गारंटी अथवा प्लॉट आवंटित करने का वादा किया गया। इसके अतिरिक्त, बहुस्तरीय रेफरल योजना के तहत नए निवेशकों को जोड़ने के लिए लैपटॉप, मोटरसाइकिल और कार जैसे पुरस्कार देने की भी पेशकश की गई। जनवरी 2023 में अचानक भुगतान बंद कर दिए गए तथा वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन और कार्यालयों को बंद कर दिया गया। कंपनी के सॉफ्टवेयर डेटा के अनुसार, 47,664 निवेशकों को उनकी निवेशित राशि से कम धनराशि वापस मिली, जिससे कुल ₹932.54 करोड़ की कमी सामने आई।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला कि रणवीर सिंह उर्फ रणवीर बिजारनिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया का इस धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण था। उन्होंने अपने सहयोगियों एवं निवेशकों के नाम पर कंपनियों, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), साझेदारी फर्मों तथा एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं का जाल स्थापित किया। इन संस्थाओं तथा उनके बैंक खातों का उपयोग निवेशकों से धनराशि एकत्र करने, पोंजी योजना की प्रकृति के अनुरूप पहले के निवेशकों को प्रतिफल

का भुगतान करने तथा अचल संपत्तियां अर्जित करने के लिए किया गया। इस प्रकार अपराध की आगम को विभिन्न स्तरों पर अंतरित करके उसके वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाया गया।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने जून 2025 में पीएमएलए की धारा 17 के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद स्थित 25 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान ₹2.05 करोड़ की नकदी जब्त की गई तथा बैंक एवं क्रिप्टो खातों में जमा ₹15.31 करोड़ की धनराशि को फ्रीज किया गया। सुभाष चंद्र बिजनोरिया को दिनांक 10.08.2026 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 06.10.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय ने 69 अचल संपत्तियों तथा 26 बैंक खातों/सावधि जमाओं में जमा धनराशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया, जिनका कुल मूल्य ₹34.91 करोड़ है। इनमें गुजरात के धोलेरा एवं धंधुका स्थित भूमि के भूखंड एवं प्लॉट, अहमदाबाद एवं सीकर स्थित आवासीय फ्लैट तथा गोवा के कैलंगुट स्थित एक रिसॉर्ट कंपनी में 45% हिस्सेदारी शामिल है। इसके साथ ही, इस मामले में अब तक कुर्क/फ्रीज/जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग ₹52 करोड़ हो गया है।

आगे की जांच जारी है।